ISSN: 2349-7637 (Online)
Volume-1, Issue-2, September 2014
RESEARCH HUB – International Multidisciplinary Research Journal
Research Paper
Available online at: www.rhimrj.co.in

डॉ. आम्बेडकर : मिशन अछूतोत्थान

डॉ. शैलजा उपमन्यु

व्याख्याता राजनीतिक विज्ञान, मा.ला. वर्मा राजकीय महाविद्यालय, भीलवाड़ा (राज.)

डॉ. भीमराव आम्बेडकर विश्व के महान विद्वान, प्रखर शिक्षा शास्त्री, एक समाज सुधारक, अछूतोद्धारक, विधिवेक्ता, दलितों एवं शोषितों के मसीहा, राजनैतिक एवं श्रमिकों के नेता थे। डॉ. आम्बेडकर का जन्म 14 अप्रेल 1891 में रामजी सकपाल के घर पर हुआ था। यह एक संयोग ही था कि उस दिन वैशाख पूर्णिमा थी। महात्मा बुद्ध का जन्म भी वैशाख पूर्णिमा को ही हुआ था। रामजी सकपाल महार जाति के थे जिसे अछूत जाति की श्रेणी में माना जाता था। बचपन से ही डॉ. आम्बेडकर वर्ण व्यवस्था के कटु अनुभवों से गुजरे थे। बचपन से ही आर्थिक संघर्षों के साथ–साथ सामाजिक संघर्ष भी उनके साथ–साथ चलते रहे। अपने दृढ़ निश्चय के साथ–साथ वे शिक्षा ग्रहण करते रहे एवं बड़ौदा के महाराजा गायकवाड़ के द्वारा प्रदत्त छात्रवृत्ति के आधार पर उन्होंने उच्च शिक्षा के लिये अमेरिका के कोलंम्बिया विश्वविद्यालय में प्रवेश लिया। उन्होंने कोलंम्बिया विश्वविद्यालय से एम.ए. की उपाधि प्राप्त की। फिर उसी विश्वविद्यालय से पी.एच.डी. की डिग्री प्राप्त की। अमेरिका से डॉ. आम्बेडकर लंदन आ गये यहाँ पर उन्होंने लन्दन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स एण्ड पॉलिटिकल साइंस में प्रवेश लिया। साथ ही उन्होंने विधि की बार एट लॉ की उपाधि के लिये भी ग्रेस इन फॉर लॉ में भी प्रवेश लिया। एक साथ इनती उच्चतम उपाधियों के लिये कार्य करना डॉ. आम्बेडकर की बौद्धिक क्षमता एवं शिक्षा के प्रति उनकी अगाध रूचि को दर्शाता है। उनमें शिक्षा के प्रति इतनी अटूट आकांक्षा एवं अध्ययन क्षमता को भी प्रदर्शित करता है। ये एक साधनहीन अछूत का इतनी उच्च कोटि की शिक्षा प्राप्त करने का एक उच्चतम उदाहरण है। शिक्षा समाप्ति के पश्चात भारत लौटने पर उन्हें एक बार फिर अछूत होने के कड़वे अनुभवों से गुजरना पड़ा।

जीवन में कभी दबना, झुकना या निराश होना उन्होंने सीखा ही नहीं था। जितने कष्ट वे झेलते गये उनकी गौरव गाथा की गंध उतनी ही फैलती चली गयी। 1917 में वे बड़ौदा से बम्बई आ गए जहां उनकी मुलाकात कोल्हापुर के महाराजा साहू महाराज से हुयी। वे डॉ. आम्बेडकर के जीवट व्यक्तित्व, दृढ़ संकल्प और अध्ययन के प्रति उनकी रूचि से काफी प्रभावित हुये। 1920 में डॉ. आम्बेडकर ने ''मूक नायक'' नामक पत्र का प्रकाशन साहू महाराज के सहयोग से आरंभ किया। डॉ. आम्बेडकर को जाति प्रथा में होने वाले अन्याय के विरूद्ध आवाज उठाने एवं लिखने का मौका ''मूक नायक'' से मिला।

यहा ँसे ही डॉ. आम्बेडकर ने अपना वास्तविक मिशन ''अछूतोत्थान'' का कार्यक्षेत्र निर्धारित किया। बम्बई में उन्होंने 1924 में बहिष्कृत हितकारिणी सभा का गठन किया और वे पूरे तन, मन और धन से अपने मिशन ''अछूतोत्थान'' को पूरा करने में लग गये। ''बहिष्कृत हितकारिणी सभा'' के मुख्य उद्देश्यों में – अछूतों में शिक्षा का प्रसार करना, उन्हें आर्थिक रूप से मजबूत करना और निम्न जातियों एवं दलित वर्ग को होने वाली कठिनाईयों एवं समस्याओं की ओर शासन/सरकार का ध्यान आकृष्ट करना प्रमुख था।

मूकनायक में डॉ. आम्बेडकर ने अपने लिखे एवं प्रकाशित लेखों के माध्यम से हिन्दू धर्म की बुराईयों को प्रकाशित करना प्रारंभ किया। डॉ. आम्बेडकर का विचार था कि अछूतों की स्थिति में अगर सुधार लाना है तो उन्हें शिक्षित बनाना ही होगा। शिक्षा के बगैर उनमें सुधार संभव नहीं होगा। अतः डॉ. आम्बेडकर ने बहिष्कृत हितकारिणी सभा के माध्यम से शोलापुर में अछूत छात्रों की शिक्षा के लिये अवसर एवं सुविधायें प्रदान करने के लिये छात्रावासों की व्यवस्था की। विदेशों से डॉ. आम्बेडकर ने प्राप्त की शिक्षा का उपयोग अपने स्वयं के लिये न कर अछूतों के सम्पूर्ण उत्थान एवं उनके सर्वांगीण विकास के लिये किया। वे निरन्तर प्रयासरत रहे। उन्होंने बार एट लॉ की उपाधि का उपयोग वकालत के माध्यम से दलितों के हित से ही शुरू किया। 1926 में उन्होंने गैर ब्राह्मणों की ओर से वकालत की और वे मुकदमा जीत गये। यह जीत अनेक दृष्टिकोणों से महत्वपूर्ण रही। अछूतों में डॉ. आम्बेडकर की प्रतिष्ठा एक अच्छे वकील के रूप में स्थापित हुयी और अछूतों में जागृति आने के साथ–साथ आत्मविश्वास भी बढ़ा।

महाड सत्याग्रह डॉ. आम्बेडकर के मिशन अछूतोत्थान में मील का पत्थर साबित हुआ। इस सत्याग्रह के परिणामस्वरूप बम्बई की लेजिसलेटिव काउंसिल ने उस प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान की जिसमें सार्वजनिक स्थलों एवं सार्वजनिक सुविधाओं का उपयोग का अधिकार जाति पाति के आधार पर न होकर सभी नागरिकों को समान रूप से होगा। परन्तु यह सिर्फ कागजों में ही सिमट कर रह गया था। 1927 में डॉ. आम्बेडकर लेजिसलेटिव काउंसिल के सदस्य मनोनीत किये गये। उनके सामने अछूतों की समस्याओं एवं शिकायतों को शासन के समक्ष रखने के महत्वपूर्ण अवसर मिले। चवदार तालाब जो महाड म्युनिसिपैलिटी के

2014, RHIMRJ, All Rights Reserved

अन्तर्गत आता था, जहाँ अछूतों को भी पानी के उपयोग का अधिकार था परन्तु व्यावहारिक तौर पर ऐसा वे कर न पाते थे। 19 मार्च 1927 को डॉ. आम्बेडकर के आव्हान पर हजारों अछूत स्त्रियां और पुरूष महाड में एकत्रित हुये जो कि एक विलक्षण घटना थी। डॉ. आम्बेडकर ने चवदार तालाब से पानी पीकर अछूतों को यह अधिकार दिलाया और उनकी समस्याओं का निराकरण इस महाड सत्याग्रह के द्वारा किया। महाड सत्याग्रह के परिणामस्वरूप अछूतों में संगठित शक्ति का एहसास किया।

महाड सत्याग्रह की श्रृंखला की अगली कड़ी नासिक सत्याग्रह था। अछूतों को ज्यादा से ज्यादा क्षेत्रों में समानता का अधिकार प्राप्त हो सके इसके लिए डॉ. आम्बेडकर कृत संकल्पित थे। नासिक के कालाराम मंदिर में भी अछूतों का प्रवेश वर्जित था। इसके लिये भी डॉ. आम्बेडकर ने नासिक सत्याग्रह किया। इसके परिणामस्वरूप रूढ़िवादी हिन्दुओं में काफी रोष उत्पन्न हो गया और उन्होंने अधिक अत्याचार दलितों के साथ करना शुरू किये। नासिक सत्याग्रह लगभग पांच वर्षों तक चलता रहा और कालाराम मंदिर को एक साल के लिए बंद कर दिया गया। डॉ. आम्बेडकर ने भी 1935 में आंदोलन को समाप्त करते हुये येवला में एक सभा में कहा कि हमें उस धर्म का त्याग कर देना चाहिए जो हमें समानता का अधिकार प्रदान नहीं करता हो। हमें ऐसे धर्म को तलाशना चाहिए जहां सभी को समानता का अधिकार प्राप्त हो एवं कोई भेदभाव व ऊंच नीच का विचार न हो। उन्होंने अफसोस जताते हुये कहा कि दुर्भाग्यवश मैं हिन्दू धर्म में पैदा हुआ जो मेरी शक्ति से परे था परन्तु मैं आप सभी को यह विश्वास दिलाता हूँ कि मेरी मृत्यु एक हिन्दू के रूप में नही होगी। गांधी और आम्बेडकर दोनों के वैचारिक मतभेद कुछ अंशों के ही थे गांधी अछूतों की समस्याओं को सामाजिक मानते थे परन्तु आम्बेडकर उनकी समस्याओं को राजनैतिक मानते थे।

महाड और नासिक सत्याग्रह के बाद डॉ. आम्बेडकर अछूतों के राजनैतिक अधिकारों के प्रति आकृष्ट हुए। वे ऐसा मानते थे कि अछूतों की सामाजिक प्रगति को तीव्र करना है तो उन्हें राजनीतिक रूप से मजबूत बनाना होगा, सक्षम बनाना होगा। 1932 के गोलमेज सम्मेलन में डॉ. आम्बेडकर ने अछूतों की, दलितों की आवाज उठायी और जोरदार तरीके से उठायी। जिसके परिणामस्वरूप साम्प्रदायिक अधिनियम स्वीकृत किया गया और अछूतों के निर्वाचन का कोटा निर्धारित किया गया और उन्हें दो वोट का अधिकार दिया गया। चूंकि महात्मा गांधी भी उस सभा के सदस्य थे, वे इस अधिनियम से सहमत नहीं हुये और पूना में उन्होंने इस अधिनियम का विरोध कर आमरण अनशन शुरू किया। अन्त में डॉ. आम्बेडकर और महात्मा गांधी के बीच एक समझौता हुआ जिसे पूना पेक्ट कहा जाता है। जिसमें अछूतों के लिए निर्धारित कोटे में वृद्धि कर उन्हें प्राप्त दो वोट का अधिकार समाप्त किया गया। यहीं से आरक्षण की मूल भावना का जन्म हुआ। डॉ. आम्बेडकर द्वारा जलायी गयी स्वाभिमान की ज्योति के प्रकाशपुंज में अछूतों को अपने अधिकारों की प्राप्ति की राह सरल और सहज दिखायी देने लगी। उनमें एक नये उत्साह और आत्म सम्मान का संचार होने लगा। वे अपने को धन्य एवं खुशनसीब मानने लगे कि डॉ. आम्बेडकर जैसी महान शक्ति हमारे साथ है और उन्हीं के विश्वासों पर खरे उतरते हुये डॉ. आम्बेडकर अपने अछूत भाईयों को उनमें व्याप्त अशिक्षा, अज्ञानता, भेदभाव, कुरीतियों, अंध विश्वासों को तिलांजलि देने के लिये निरंतर प्रयासरत थे।

1935 में नासिक सत्याग्रह के दौरान की गयी घोषणा के अनुरूप डॉ. आम्बेडकर लगभग 20 सालों तक चिन्तन, मनन करते रहे। अन्त में 1956 में उन्होंने बौद्ध धर्म को 14 अक्टूबर 1956 को विजया दशमी के दिन अंगीकार कर लिया। वे औपचारिक रूप से बौद्ध धर्म के अनुयायी बन गये। 1935 में किए गये अपने प्रण की सत्यता को बनाये रखते हुये उन्होंने हिन्दू धर्म का त्याग किया। इसके बाद 6 दिसम्बर 1956 को उनका स्वर्गवास हुआ। डॉ. आम्बेडकर के बहुआयामी व्यक्तित्व का प्रभाव करोड़ों करोड़ों देशवासियों पर हमेशा हमेशा के लिए अमिट हो गया।

अन्त में हम यही कह सकते हैं कि डॉ. आम्बेडकर बरसों से सभी अव्यक्त व्यथाओं की जाजवल्यमान अभिव्यक्ति थे। युगों से नजरबंद दर्द और क्षोभ की वेदनाओं से प्रस्फुटित अश्रुधारा के डॉ. आम्बेडकर वो अश्रु थे जो बूंद–बूंद इस सामाजिक धरा पर गिरे और गुबार बनते गए। यह गुबार अछूत वर्गों का प्रतिरक्षा चक्र बनकर आज भी विद्यमान है। डॉ. आम्बेडकर ने अपने महान कार्यों, महत्वपूर्ण फैसलों एवं दयापूर्ण त्याग से एक युग को परिवर्तित कर दिया, दिशाओं को निर्देशित कर दिया, आशाओं को आश्वस्त एवं विश्वासों को भी विश्वस्त कर दिया। डॉ. आम्बेडकर के विचारों से साक्षात्कार के बाद जाति और जन्म आधारित भेदभाव को हमेशा हमेशा के लिए विदा करने की हमारी सामाजिक जिम्मेदारियां और दायित्व और बढ़ जाते हैं। आज डॉ. आम्बेडकर हम सबके लिये श्रृद्धा व आस्था की स्तुति एवं प्रतिमूर्ति हैं।

संदर्भ ग्रन्थ –

[1]. सिंह आर.जी. (1986) – भारतीय दलितों की समस्यायें एवं उनका समाधान, मध्य प्रदेश ग्रन्थ अकादमी, भोपाल
[2]. सिंह आर.जी. (1991) – डॉ. भीमराव आम्बेडकर के सामाजिक विचार, मध्य प्रदेश ग्रन्थ अकादमी, भोपाल
[3]. सिंह आर.जी. (1992) – डॉ. आम्बेडकर के सामाजिक एवं सामाजिक केतर विचार, मध्य प्रदेश ग्रन्थ अकादमी, भोपाल
[4]. धवन एस.के. (1971) – डॉ. आम्बेडकर : व्यक्तित्व एवं कृतित्व, क्षमता साहित्य सदन, जयपुर

2014, RHIMRJ, All Rights Reserved
ISSN: 2349-7637 (Online)

[5]. मोदी सरोज (1990) – द स्पोक आम्बेडकर (खण्ड 3), आम्बेडकर साहित्य प्रकाशन, बैंगलोर
[6]. चन्द्रमौली वी. (1990) – बी. आर. आम्बेडकर – मैन एण्ड मिशन, स्टर्लिंग, नई दिल्ली।
[7]. शहारे एम.एल. (1987) – बाबा साहेब आम्बेडकर लाइफ एण्ड मिशन, एन.सी.इ.आर.टी., नई दिल्ली।

RHIMRJ

2014, RHIMRJ, All Rights Reserved
ISSN: 2349-7637 (Online)